संख्या–415/III(3)/2010–08(सामान्य)09

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–3 देहरादूनः दिनांक 27 अगस्त,2010

विषयः **वित्तीय वर्ष 2010–2011 में राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण हेतु धनराशि आवंटन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2908/58 बजट (रा0मा0 अनु0–आयोजनेत्तर)/10–11, दिनांक 31.07.2010 एवं शासनादेश संख्या–328/III(3)/2010–08(सामान्य)09, दिनांक 24.06.2010 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण हेतु सामान्य मरम्मत (ओ0आर0) मद में अवमुक्त धनराशि के अनुसार ₹ 437.00 लाख (₹ चार करोड़ सैंतीस लाख मात्र) की धनराशि राज्य सरकार के बजट से निम्न विवरणानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2010–2011 में व्यय किये जाने की इस शर्त के साथ आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा :–

क्रम संख्या	मद	धनराशि (₹ लाख में)
1.	सामान्य मरम्मत (ओ०आर०)	437.00
	योग–	437.00

2– व्यय उसी कार्य पर किया जाय, जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

3– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, वित्तीय नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

4– स्वीकृत की जा रही धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का मदवार विवरण शासन/भारत सरकार को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जायेगा।

5– धनराशि का व्यय करने में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण हेतु जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा और अन्यथा धनराशि के विपरीत भारत सरकार से अविलम्ब आवश्यक धनराशि की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी।

6– निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणन पर प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगणन पर तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

N.H.Ge–15

प्रदीप

7- स्वीकृत की जा रही धनराशि को दिनांक 31-3-2011 तक उपयोग कर लिया जायेगा और समय-समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र भी भारत सरकार व राज्य सरकार को प्रेषित कर दिया जायेगा।

8- वर्तमान वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण हेतु सामान्य मरम्मत (ओ0आर0) मद में स्वीकृत की जा रही एवं पूर्व में स्वीकृत की गयी धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को अवगत कराया जायेगा।

9- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2010-2011 के आय-व्ययक के अनुदान अनुदान संख्या-22 के लेखाशीर्षक-3054 सड़क तथा सेतु-01 राष्ट्रीय राजमार्ग-आयोजनेत्तर-337 सड़क निर्माण कार्य -04 राष्ट्रीय मार्ग अनुरक्षण (100% के0स0) (03 से स्थानान्तरित)-00-29 अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

10- यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अ.शा. संख्या- 365/XXVII(2)/2010 दिनांक 23 अगस्त, 2010 मे प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।

पृ.सं. 915 (1)/ III(3)/2010 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अनु सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को पत्र स0 आर0डब्लू/जी. -23012/01/2010-डब्लू.ए., दिनांक 06.05.2010 के सन्दर्भ में।
3. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूं मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
5. मुख्य अभियन्ता स्तर-2, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी/अल्मोडा।
6. अपर सचिव, वित्त बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. समस्त जिलाधिकारी।
8. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी।
9. अधीक्षण अभियन्ता, राजमार्ग वृत्त, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
10. समस्त अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
11. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
12. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र।
13. लोक निर्माण अनुभाग-2/गार्ड बुक, उत्तराखण्ड शासन।

आज्ञा से,
महिमा
(महिमा)
अनु सचिव।

N.H.Geo-36